न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, अम्बेडकरनगर।
उपस्थितः– राम विलास सिंह 'उच्चतर न्यायिक सेवा'

UPAN010008382021

Sessions Case/130/2021

सरकार ....अभियोजन

बनाम

रजनीश यादव आयु लगभग–60 वर्ष पुत्र त्रिभुवन, निवासी ग्राम–रसूलपुर दियरा,थाना– बेवाना, जनपद अम्बेडकरनगर। ....अभियुक्त

मु0अ0सं0–166/2020
धारा–304,323,325,504,506 भा.दं.सं.
थाना–बेवाना
जनपद–अम्बेडकर नगर।

निर्णय

1. अभियुक्त **रजनीश यादव** का विचारण उपरोक्त सत्र परीक्षण वाद में थाना–बेवाना, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र मु.अ.सं.–166/2020 अंतर्गत् धारा–304,323,325,504,506 भा.दं.सं. के आधार पर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी मुकदमा रामसुख पुत्र त्रिभुवन निवासी ग्राम–रसूलपुर दियरा,थाना–बेवाना जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा थाना बेवाना पर इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी है कि हम प्रार्थी रामसुख पुत्र त्रिभुवन निवासी ग्राम–रसूलपुर दियरा,थाना–बेवाना जनपद अम्बेडकरनगर का निवासी है। दिनांक 15.10.2020 को सुबह 10.30 बजे विपक्षीगण रजनीश पुत्र त्रिभुवन व उनकी बहन सुनीता पत्नी सर्वेश खाना बना रहे थे। आग जलती हुई छोड़ कर जा रहे थे। कहा कि आग को बुझा दो नहीं तो नुकसान हो जायेगा। इस बात पर दोनों लोग गाली गुप्ता देते हुए मारे पीटे,जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर अपराध सं0–166/2020 अन्तर्गत धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 अभियुक्त रजनीश व सुनीता के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। दौरान इलाज चोटहिल त्रिभुवन पुत्र रामकुबेर की मृत्यु हो गयी, जिस कारण प्रकरण में धारा–304, 325 भा0दं0सं0 की वृद्धि की गयी।

4. विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.06.20 15:36:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गवाहान के बयान लिए। विवेचक द्वारा घटना–स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी बनाया गया। आहतों के चिकित्सीय प्रपत्रों का अवलोकन किया। वादी व चोटहिल व अन्य साक्षीगण के बयानात केस डायरी में अंकित किये और विवेचना उपरांत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त **रजनीश यादव** के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–166/2020 में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–304,323,325,504,506 के अन्तर्गत आरोप–पत्र सं0 ए–5 दिनांकित 14.01.2021 न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया। विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र पर विद्वान प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 08.02.2021 को प्रसंज्ञान लिया गया। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 23.02.2021 को पत्रावली को सत्र सुपुर्द किया गया।

5. प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त सत्र न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त **रजनीश यादव** के विरूद्ध दिनांक 13.05.2022 को तत्कालीन सत्र न्यायाधीश,अम्बेडकरनगर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–304,323,325, 504,506 के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, किन्तु अभियुक्त ने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की गई।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षण कराया गया :–

क्रम सं0	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
1	पी0डब्लू0 1	रामसुख यादव	वादी मुकदमा
2	पी0डब्लू0 2	लक्ष्मी यादव	चक्षुदर्शी साक्षी
3	पी0डब्लू0 3	चन्द्रावती	अनुश्रुत साक्षी
4	पी0डब्लू0 4	रमेश कुमार यादव	अनुश्रुत साक्षी/पंचनामा साक्षी
5	पी0डब्लू0 5	मोहित राम	पंचायतनामा साक्षी
6	पी0डब्लू0 6	हे0कां0योगेन्द्र सिंह	प्राथमिकी साक्षी
7	पी0डब्लू0 7	डॉ0 पी.एन.यादव	चिकित्सक साक्षी
8	पी0डब्लू0 8	भवानी प्रसाद मिश्रा उपनिरीक्षक	सामग्री साक्षी
9	पी0डब्लू0 9	ममता यादव उपनिरीक्षक	पंचायतनामा लाश साक्षी
10	पी0डब्लू0 10	डॉ0 इन्द्रेश यादव	विशेषज्ञ साक्षी/पोस्टमार्टमकर्ता
11	पी0डब्लू0 11	डॉ0 मनु उपाध्याय	विशेषज्ञ साक्षी

7. अभियोजन की ओर से, उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा जो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनको दौरान विचारण सुसंगत साक्ष्य द्वारा प्रमाणित एवं सिद्ध कराया गया है, जिनको प्रदर्श से कमबद्ध किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैंः–

कम सं0	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**	**सिद्ध करने वाला साक्षी**
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0 1
2	पंचायतनामा	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0 4
3	पंचायतनामा	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0 5
4	चिक एफ.आई.आर	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0 6
5	कायमी जी.डी.	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0 6
6	एक्सरे रिपोर्ट मजरूब त्रिभुवन	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0 7
7	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0 8
8	आरोप पत्र	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0 8
9	प्रतिसार निरीक्षक को प्रेषित रिपोर्ट	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0 9
10	सीएमओ को प्रेषित रिपोर्ट	प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0 9
11	फोटोनाश	प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0 9
12	चालान शव	प्रदर्श क–10	पी0डब्लू0 9
13	पुलिस फार्म 13	प्रदर्श क–11	पी0डब्लू0 9
14	नमूना मोहर	प्रदर्श क–12	पी0डब्लू0 9
15	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–13	पी0डब्लू0 10
16	सीएमओ को प्रेषित रिपोर्ट	प्रदर्श क–14	पी0डब्लू0 10
17	जिला चिकित्सालय से प्राप्त मेमो	प्रदर्श क–15	पी0डब्लू0 10
18	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट त्रिभुवन	प्रदर्श क–16	पी0डब्लू0 11

9. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत बताया तथा साक्षीगण द्वारा रंजिशन झूठी गवाही देना कहा है तथा मुकदमा रंजिशन चलने का कथन किया गया तथा यह कथन किया गया कि वादी मुकदमा स्वंय घटना कारित करके प्रार्थी के हिस्से की भूमि बैनामा व वसीयतनामा पिता त्रिभुवन से लिखवा लिया था। प्रार्थी को

हिस्सा न देना पड़े इसलिए स्वंय घटना कारित करके प्रार्थी के विरूद्ध फर्जी व झूठा मुकदमा कायम कराया है तथा झूठी गवाही दिलाया है। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया।

10. अभियुक्त की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में सूची 45ब के माध्यम से नकल वसीयतनामा त्रिभुवन,रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा त्रिभुवन, रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा त्रिभुवन, रजिस्टर्ड बैनामा की प्रमाणित प्रति व लिखित बयान दाखिल किया गया। बचाव पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में कोई सफाई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया जिस कारण सफाई साक्ष्य का अवसर दिनांक 19.05.2026 को समाप्त किया गया।

11. मैंने विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष/अभियुक्त तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के सारगर्भित तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

12. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध यह अभियोग लगाया गया है कि दिनांकः 15.10.2020 को समय 10.30 बजे प्रातः स्थान बहद् ग्राम रसूलपुर दियरा, थाना बेवाना,जनपद अम्बेडकरनगर में अभियुक्त ने वादी मुकदमा रामसुख के पिता त्रिभुवन को मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया, वादी मुकदमा के पिता को ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों में मारा जिससे जिससे उनकी मृत्यु हो गयी इसप्रकार आपने हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया,वादी के पिता को मार कर गंभीर उपहति कारित किया जिससे अस्थिभंग कारित हुआ, वादी के पिता को गालियां दिया व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया।

13. उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष हैं। उसे रंजिशन फंसाया गया है। वादी मुकदमा स्वंय घटना कारित करके प्रार्थी के हिस्से की भूमि बैनामा व वसीयतनामा पिता त्रिभुवन से लिखवा लिया था। प्रार्थी को हिस्सा न देना पड़े इसलिए स्वंय घटना कारित करके प्रार्थी के विरूद्ध फर्जी व झूठा मुकदमा कायम कराया है तथा झूठी गवाही दिलाया है। अभियोजन, अपने कथानक को संदेह से परे साबित कर पाने में पूरी तरह असफल रहा है। अभियोग मिथ्या है। अभियोजन तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभास है। साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

14. अभियुक्त पर यह आरोप है कि दिनांकः 15.10.2020 को समय 10.30

बजे प्रातः स्थान बहद् ग्राम रसूलपुर दियरा, थाना बेवाना,जनपद अम्बेडकरनगर में अभियुक्त ने वादी मुकदमा रामसुख के पिता त्रिभुवन को मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया, वादी मुकदमा के पिता को ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों में मारा जिससे जिससे उनकी मृत्यु हो गयी इसप्रकार आपने हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया,वादी के पिता को मार कर गंभीर उपहति कारित किया जिससे अस्थिभंग कारित हुआ, वादी के पिता को गालियां दिया व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया।

15. आपराधिक प्रकरण में सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार होता है कि अभियोजन, अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे। अब देखना यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध धारा–304,323,325,504,506 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

16. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 1 वादी मुकदमा रामसुख यादव** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि ''घटना दिनांक–15.10.2020 की है। समय सुबह लगभग–10.30 बजे की है। घटना के दिन मैं अपनी पत्नी चन्द्रावती के साथ खेत में धान काटने गया था। घर पर मेरी लड़की लक्ष्मी व मेरे बुजुर्ग पिता त्रिभुवन घर पर थे। 10.30 बजे के लगभग जब मैं व मेरी पत्नी खेत से घर आये तो देखा कि मेरे पिता घर के सामने द्वार पर चोटहिल अवस्था में पड़े थे। मैंने उनको उठाकर चारपाई पर लिटाया। मेरी बेटी लक्ष्मी ने बताया कि मुल्जिम रजनीश व सुनीता घर के बाहर दरवाजे पर ईटा चूल्हा बनाकर आग जलाकर खाना बनाकर बिना आग बुझाये चले जा रहे थे। बाबा ने आग बुझाने के लिए रजनीश से कहा कि आग नहीं बुझाओगे तो आग लग जायेगी,नुकसान हो जायेगा। इसी बात पर नाराज होकर उपरोक्त दोनों मुल्जिमान लगभग तीन फिट के बॉस के टुकड़े से मारा पीटा था। मेरी पत्नी चन्द्रावती ने बेटे रमेश को फोन करके बुलाया। रमेश ने 108 नम्बर एम्बुलेंस को बुलाया। तब हम तीनों, मैं, अपनी पत्नी व बेटे रमेश के साथ अपने पिता को लेकर जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर गये। वहॉ पर डाक्टर ने भर्ती कर लिया। हालत गंभीर होने के कारण फैजाबाद के लिए रेफर कर दिया फिर फैजाबाद से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर पुनः लाकर भर्ती कर दिये। दिनांक 19.10.2020 को थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी।

प्रार्थनापत्र मैंने थाने के बाहर एक व्यक्ति से लिखवाकर पढ़कर सुनकर हस्ताक्षर करके दिया जिस पर मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई। असल तहरीर कागज संख्या–4अ/3 शामिल पत्रावली मेरे सामने है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क1 डाला गया। दौरान इलाज मेरे पिता त्रिभुवन की मृत्यु दिनांक 22.10.2020 को हो गयी थी। पंचनामा की कार्यवाही कराके लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मेरे पिता जी कुछ जमीन मेरी पत्नी के नाम बैनामा कर दिया था उसी रंजिश को लेकर मुल्जिम ने मेरे पिता को मारा पीटा था। मैं घटना के समय मौके पर नहीं था। मेरी बेटी ने घटना के बारे में मुझसे बताया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैंने घटना स्थल उनको दिखाया था।''

17. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 2 कु0 लक्ष्मी यादव** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि ''घटना दिनांक 15.10.2020 समय करीब 10.30 बजे दिन की है। मेरे चाचा रजनीश घर के बाहर द्वार पर नीम के पेड़ के नीचे ईट का चूल्हा बनाकर लकड़ी जलाकर खाना बनाने तथा बिना आग बुझाये वहीं पर छोड़कर जा रहे थे। मेरे बाबा त्रिभुवन जो थोड़ी दूरी पर बैठे थे उन्होंने मेरे चाचा रजनीश से कहा कि आग बुझा दो नहीं तो नुकसान हो जायेगा। इसी बात पर मेरे चाचा रजनीश व वहीं पर मौजूद मेरी बुआ सुनीता पत्नी सर्वेश निवासी ग्राम विखौलिया थाना शाहगंज जनपद जौनपुर ने मिलकर मेरे बाबा को गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने लगे। मैंने बचाने का प्रयास किया। मुझे मेरे चाचा रजनीश ने धक्का दे दिया तो उपरोक्त दोनों लोग मेरे बाबा को लात घूसा मूका से जमीन पर पटक–पटक कर मारने लगे। हल्ला गोहार सुनकर गॉव के तमाम लोग को आता देखकर उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते चले गये। घटना के समय मैं, बाबा जी घर पर थे। मेरे माता–पिता खेत में गये थे। घटना के थोड़ी देर बाद मेरे माता–पिता आये। मैंने सारी बात बतायी। तब मेरे पिता व भाई मेरे बाबा को एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल गये और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। घटना मैंने अपनी ऑखों से देखी थी। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।''

18. अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू. 3 चन्द्रावती** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि ''इस मामले के मृतक त्रिभुवन मेरे ससुर थे। मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूँ। मैं घटना की तारीख नहीं बता सकती हूँ। घटना आज से लगभग ढाई साल पहले की है। मैं अपने पति के साथ सुबह धान काटने गयी थी। घर पर मेरी बेटी लक्ष्मी व ससुर त्रिभुवन थे। लगभग 10.30 बजे मैं अपने पति के साथ खेत से घर वापस आयी तो देखा कि मेरे ससुर

त्रिभुवन घर के सामने द्वार पर जमीन पर गिरे पड़े थे और चिल्ला रहे थे। मैं व मेरे पति उनको उठाकर चारपाई पर लिटाया। मेरी बेटी लक्ष्मी ने बताया कि चाचा रजनीश व सुनीता ईटा रखकर आग जलाकर द्वार पर खाना बनाया था। बिना आग बुझाये चले जा रहे थे। बाबा ने मना किया तो दोनों लोगों ने रजनीश व सुनीता ने मारा पीटा। यही बात मेरे ससुर त्रिभुवन ने हम लोगों को बताया था। तब मैंने अपने बेटे रमेश को फोन करके बुलाया था। रमेश अपने ननिहाल उस समय रहता था। रमेश कुछ देर बाद आये तब एम्बुलेंस बुलाया। तब मेरे ससुर को लेकर जिला अस्पताल गये। साथ में मैं भी गयी। जिला अस्पताल में भर्ती कर लिये। इलाज के दौरान ही 7–8 दिन बाद मेरे ससुर त्रिभुवन की मृत्यु हो गयी। मेरे ससुर अपने नाम की कुछ जमीन मेरे नाम लिख दिये थे इसलिए मेरे देवर रजनीश व ननद सुनीता उनको मारते पीटते थे। घटना के दिन भी जमीन की रंजिश वश आग बुझाने का बहाना लेकर मारे पीटे थे जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।''

19. अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू. 4 रमेश कुमार यादव** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि ''रामसुख मेरे पिता जी है तथा त्रिभुवन मेरे बाबा थे। घटना दिनांक 15.10.2020 की है। समय करीब दस–साढ़े दस बजे की है। मेरे चाचा रजनीश चूल्हे पर खाना बना रहे थे। मेरे बाबा त्रिभुवन ने उनको मना किया कि आग बुझा दो नहीं तो आग लग जायेगी। इसी बात को लेकर चाचा रजनीश व बुआ सुनीता ने मिलकर मेरे बाबा को लाठी डण्डे से मारे पीटे थे। घटना के समय मैं अपने नाना के घर पर था। मैं अपनी मम्मी की सूचना पर घर आया। घर आकर देखा मेरे बाबा को काफी चोट लगी थी। मेरे बाबा चारपाई पर चिल्ला रहे थे। मैंने 108 नम्बर के एम्बुलेन्स को फोन किया। एम्बुलेन्स के आने पर मैं व मेरी मम्मी बाबा त्रिभुवन को इलाज हेतु जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर लाये। दौरान इलाज मेरे बाबा की उपरोक्त चोटों के कारण मृत्यु हो गयी। मेरे बाबा का पंचनामा पुलिस वालों ने जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर में लिख पढ़कर तैयार किया था। पंचनामा के समय मैं भी मौजूद था। पंचनामा करने के पश्चात पुलिस वाले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शामिल पत्रावली पंचनामा पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क2 डाला गया। पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था।''

20. अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू. 5 मोहित राम** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि ''उपरोक्त मुकदमें के मृतक त्रिभुवन मेरे रिश्तेदार थे, उनकी मृत्यु की सूचना पर मैं उनके पास

आया था, मौके पर तमाम लोग व रिश्तेदार मौजूद थे, पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, पुलिस वालों ने मुझे पंचान नियुक्त कर त्रिभुवन का पंचनामा मेरे समक्ष लिख–पढ़ कर तैयार किया था, हम लोगों की राय जानी थी, तत्पश्चात् शव को सफेद कपड़े में रखकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया था, पंचनामा पर पुलिस वालों ने मेरे हस्ताक्षर बनवाये थे, साक्षी ने पंचनामा पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क 2 पूर्व में डाला गया है। मुझे यह जानकारी हुई थी कि त्रिभुवन को उनके पुत्र रजनीश व पुत्री सुनीता ने मिलकर जमीनी विवाद को लेकर मारा था, जिससे त्रिभुवन की मृत्यु हो गयी थी, पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था।''

21. अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू. 6 हे0कां0 योगेन्द्र सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि ''मैं दिनांक 19.10.2020 को थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकरनगर (उत्तर प्रदेश) में हे० का० के पद पर कार्यरत था। उस दिन वादी मुकदमा राम सुख के लिखित तहरीर व थाना प्रभारी के मौखिक आदेश पर मैंने उपरोक्त मुकदमें की चिक मुकदमा अपराध संख्या 166/2020 अन्तर्गत धारा 323,504 व 506 भा.द.सं. बनाम रजनीश आदि समय 07:21 बजे सी०सी०टी०एन०एस० से पंजीकृत कराया था जिसकी कायमी थाने की नकल रपट संख्या 11 समय 07:15 बजे दिनांक 19.10.2020 को दर्ज की गयी है, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ चिक पर प्रदर्श क 3 व कायमी पर प्रदर्श क 4 डाला गया। उपरोक्त मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

22. अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू. 7 डॉ0 पी.एन.यादव** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि ''मैं दिनांक 20.10.2020 को उपरोक्त पद व स्थान पर कार्यरत था, दिनांक 20.10.2020 को उपरोक्त मुकदमें के चोटहिल त्रिभुवन पुत्र स्वर्गीय राम कुवेर उम्र लगभग 80 वर्ष निवासी रसूलपुर दियरा, थाना बेवाना, जनपद–अम्बेडकरनगर को चिकित्साधिकारी डॉ० मनु उपाध्याय द्वारा रिफर करने के पश्चचात् थाना–बेवाना के होमगार्ड सुनील कुमार वर्मा द्वारा मेरे समक्ष एक्स–रे परीक्षण हेतु लाया गया था, मेरी देखरेख में एक्स–रे टेक्निशियन द्वारा चोटहिल के बायी हिप के साथ जांघ के जोड़ का एक्स–रे किया गया, जिसकी रिपोर्ट मैंने दिनांक 20.10.2020 को तैयार किया, एक्स–रे में चोटहिल त्रिभुवन के बाये फीमर बोन में ताजी टूटन पायी गयी थी, रिपोर्ट मैंने वरवक्त मुआइना अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 5 डाला

गया तथा एक्स–रे प्लेट पर वस्तु प्रदर्श 1 व वस्तु प्रदर्श 2 डाला गया।''

23. अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू. 8 भवानी प्रसाद मिश्र उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि '' मैं दिनांक 19.10.2020 को थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकरनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था, उस दिन थाना प्रभारी के आदेश पर उपरोक्त मुकदमें की विवेचना मुझे प्राप्त हुई, मैं विवेचना में मशरूफ हुआ, दिनांक 19.10.2020 को पर्चा नं० 1 किता किया जिसमें नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया, थाने में कार्यरत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक योगेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया, दिनांक 21.10.2020 को पर्चा नं० 2 में वादी को तलाश किया, घर पर नहीं मिला। दिनांक 19.10.2020 को पर्चा न० 3 में चक्षुदर्शी साक्षी लक्ष्मी यादव का बयान अंकित किया, साक्षी ने बताया कि एम्बुलेंस चोटहिल को लेकर अस्पताल गयी है, जिस कारण चक्षुदर्शी साक्षी लक्ष्मी यादव की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 6 डाला गया। घटना स्थल पर गांव के दो व्यक्ति मौजूद मिले, उनकी मौजूदगी में घटना स्थल का मैंने अच्छे से निरीक्षण किया, किन्तु घटना स्थल पर मुझे कोई खून का कोई अंश नहीं दिखायी दिया, तत्पश्चात् मैंने मौजूद साक्षी मंशाराम कपिल देव यादव का बयान अंकित किया, दिनांक 07.11.2020 पर्चा नं० 4 किता किया जिसमें वादी मुकदमा को तलाश किया, नहीं मिला। दिनांक 20.11.2020 को पर्चा नं० 5 में चोटहिल त्रिभुवन की डॉक्टरी रिपोर्ट, एक्स–रे रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचायतनामा रिपोर्ट थाना कार्यालय से प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया, दिनांक 10.12.2020 को पर्चा नं० 6 में वादी राम सुख यादव व अन्य साक्षी चन्द्रावती व रमेश यादव का बयान अंकित किया, दिनांक 20.12.2020 को पर्चा नं० 7 में पंचनामा के साक्षी रमेश यादव, राजेश कुमार यादव, मोहित राम, अरूण कुमार गुप्ता का बयान अंकित किया, दिनांक 30.12.2020 को पर्चा न० 8 में नामित आरोपी का प्रार्थना–पत्र व गवाहों का शपथ–पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय, अम्बेडकरनगर द्वारा थाना कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसका मैंने अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया, दिनांक 01.01.2021 को पर्चा नं० 9 में पंचायतनामा भरने वाले उपनिरीक्षक ममता यादव व पोस्टमार्टम कराने वाले आरक्षी सुमित यादव व पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ० इन्द्रेश का बयान अंकित किया, दिनांक 03. 01.2021 को पर्चा नं० 10 में शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले साक्षीगण का बयान अंकित किया, जिसके आधार पर नामित अभियुक्ता सुनीता की नामजदगी गलत पायी

गयी, दिनांक 12.01.2021 को पर्चा नं० 11 में अभियुक्त रजनीश को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित किया तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड प्राप्त किया, दिनांक 14.01.2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित आरोपिता सुनीता का बयान अंकित किया, तमामी विवेचना के आधार पर मैंने उपरोक्त मुकदमें के अभियुक्त रजनीश यादव पुत्र त्रिभुवन के विरूद्ध धारा 323,504,506,325,304 भा०दं०सं० में आरोप पत्र संख्या 05/2021 तैयार किया जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 7 डाला गया।''

24. **साक्षी पी.डब्लू.9 ममता यादव उपनिरीक्षक** ने अपने बयान में यह कथन किया है कि–''मैं दिनांक 23.10.2020 को थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थी, उस दिन संयुक्त जिला चिकित्सालय द्वारा प्रेषित प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर की रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई और प्रभारी निरीक्षक द्वारा मुझे पंचायतनामा भरने हेतु संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकरनगर भेजा गया तब मैं संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकरनगर आयी जहां पर उपरोक्त मुकदमें के मृतक त्रिभुवन का पंचनामा मेरे द्वारा पंचान नियुक्त कर समक्ष पंचान लिख–पढ़ कर तैयार किया गया, पंचों की राय जानी गयी, अन्य दीगर कागजात भी तैयार किये गये, तत्पश्चात् शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, शामिल पत्रावली पंचायतनामा व अन्य दीगर कागजात मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करती हूँ, पंचायतनामा पर पूर्व में प्रदर्श क 2 डाला गया है, अन्य दीगर कागजात जिसमें प्रतिसार निरीक्षक को प्रेषित रिपोर्ट पर प्रदर्श क 7 सी०एम०ओ० को प्रेषित रिपोर्ट पर प्रदर्श क 8 फोटो नाश पर प्रदर्श क 9, चालान शव पर प्रदर्श क 10, पुलिस फॉर्म संख्या 13 पर प्रदर्श क 11 व नमूना मोहर पर प्रदर्श क 12 डाला गया। उपरोक्त मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

25. **साक्षी पी.डब्लू.10 डॉ0 इन्द्रेश यादव** ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि–''मैं दिनांक 23.10.2020 को सी०एच०सी० अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था, उस दिन मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हेतु लगी थी, दिनांक 23.10.2020 को उपरोक्त मुकदमें के मृतक त्रिभुवन उम्र लगभग 80 वर्ष पुत्र स्व० राम कुबेर, निवासी रसूलपुर दियरा, थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकर नगर के सीलयुक्त शव को थाना प्रभारी कोतवाली अकबरपुर द्वारा थाने के आरक्षी सुमित यादव से पोस्टमार्टम हेतु मेरे समक्ष भिजवाया गया था, शव की पहचान साथ में आरक्षी द्वारा की गयी तत्पश्वात् मैंने शव का पोस्टमार्टम उसी दिन दिनांक 23.10.2020 को समय 03:20 पी.एम. पर करना प्रारम्भ किया था, शव

के साथ मुझे संयुक्त जिला चिकित्सालय, अम्बेडकरनगर से मृतक की मृत्यु के सम्बन्ध में मृतक की मेमो रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी, जिसका मैंने पोस्टमार्टम के समय अवलोकन किया था।

<u>बाह्य परीक्षणः–</u>

मृतक त्रिभुवन दुर्बल कद काठी का था, शव में मृत्यु पश्चात् अकड़न पूरे शरीर में मौजूद थी, दोनों नेत्र व मुह खुला था, नाखून पेल थे, दांत 2/4 मौजूद थे।

<u>मृत्यु पूर्व चोटें:–</u>

मृतक त्रिभुवन को मृत्यु पूर्व निम्नलिखित चोटें आयी थी।

<u>चोट नं० 1</u> बाये पैर की फीमर हड्डी में टूटन पायी गयी थी जिससे हड्डी में विकृति मौजूद थी।

<u>चोट नं० 2</u> पपड़ी युक्त कई खरोच बाये पैर में 8X3 सें०मी० के क्षेत्रफल में मौजूद था, सबसे बडी खरोच का आकार 5X1 से०मी० तथा सबसे छोटी खरोच का आकार 2x0.5 सें०मी० था।

<u>आन्तरिक परीक्षणः–</u>

मृतक त्रिभुवन के मस्तिष्क में गंध युक्त पानी Cranial fossae में मौजूद था, pleural cavity में पीला रंग का पानी भरा हुआ था, दोनों फेफड़ों का चैम्बर कोलैप्स था और चैम्बर में गंध युक्त पानी भरा हुआ था, हृदय का दाया चौम्बर के थक्के से भरा था, बाया चैम्बर खाली था, पेट में लगभग 200 एम०एल० पानी मौजूद था, पेट की दीवारें सामान्य थी, छोटी आंत में अधपचा पदार्थ के साथ गैस मौजूद थी, बड़ी आंत में मल के साथ गैस मौजूद थी, मूत्राशय खाली था। पित्त की थैली सिकुड़ी हुई थी।

<u>मृत्य का समयः–</u>

मेरी राय में मृतक की मृत्यु का समय पोस्टमार्टम करने के समय से एक दिन के अंदर का था तथा संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकर नगर से प्राप्त मेमों के आधार पर मृतक की मृत्यु दिनांक 22.10.2020 को समय 06:45 पी.एम. पर हुई थी।

<u>मृत्यु का कारणः–</u>

मेरी राय में मृतक की मृत्यु का कारण Septicemia (रक्त संक्रमण) और Shock जो मृत्यु पूर्व आयी उपरोक्त चोट से हुई थी।

मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट वरवक्त मुआइना अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। जो शामिल मेरे समक्ष है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 13 डाला गया। शव के साथ मुझे अन्य प्रपत्र भी प्राप्त हुए थे, उस पर भी मैंने अपना हस्ताक्षर

बनाया था, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ जिसमें सी.एम.ओ. को प्रेषित रिपोर्ट पर प्रदर्श क 14,संयुक्त जिला चिकित्सालय से प्राप्त मेमो पर प्रदर्श क15 डाला गया।''

26. **साक्षी पी.डब्लू.11 डॉ0 मनु उपाध्याय** ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि–''मैं दिनांक 19.10.2020 को संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकर नगर में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था, उस दिन मेरी एमरजेंसी ड्यूटी लगी थी, दिनांक 19.10.2020 को उपरोक्त मुकदमें के चोटहिल त्रिभुवन आयु लगभग 80 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राम कुवेर, निवासी रसूलपुर दियरा, थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकर नगर को चोटहिल अवस्था में थाना बेवाना के होमगार्ड नं० 0122 सुनील कुमार वर्मा द्वारा मेरे समक्ष इलाज हेतु लाया गया था, मैंने चोटहिल का पहचान चिन्ह अंकित करने के पश्चात् उसके शरीर पर आयी हुई चोटों का परीक्षण दिनांक 19.10.2020 को 02:00 पी.एम.पर किया था, चोटहिल ने बताया था कि उसको मारने पीटने से चोटें आयी है, चोटहिल को निम्नलिखित चोटें आयी थी।

चोटहिल को सूजन (swelling) के साथ दर्द की शिकायत बाये कूल्हे के जोड पर थी। चोटहिल को मैंने एक्स–रे, अग्रिम उपचार व विशेषज्ञ राय हेतु हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास संदर्भित किया था, रिपोर्ट मैंने बरवक्त मुआइना अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 16 डाला गया।''

27. अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर उसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया। अब न्यायालय को यह देखना है कि, क्या अभियुक्त पर जिस आपराधिक धारा–304,323,325,504,506 भा0दं0सं0 में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है और उसके संबंध में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे अभियुक्त पर बिना संदेह के अपराध पूरी तरह साबित होता है अथवा नहीं? अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु **साक्षी पी.डब्लू.1 के रूप में रामसुख यादव** को परीक्षित कराया गया है जो प्रकरण का वादी मुकदमा है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि– ''घटना दिनांक–15.10.2020 की है। समय सुबह लगभग–10.30 बजे की है। घटना के दिन मैं अपनी पत्नी चन्द्रावती के साथ खेत में धान काटने गया था। घर पर मेरी लड़की लक्ष्मी व मेरे बुजुर्ग पिता त्रिभुवन घर पर थे। 10.30 बजे के लगभग जब मैं व मेरी पत्नी खेत से घर आये तो देखा कि मेरे पिता घर के सामने द्वार पर चोटहिल अवस्था में पडे थे। मैंने उनको उठाकर चारपाई पर लिटाया। मेरी बेटी लक्ष्मी ने बताया कि मुल्जिम रजनीश व सुनीता घर के बाहर दरवाजे पर ईटा चूल्हा

बनाकर आग जलाकर खाना बनाकर बिना आग बुझाये चले जा रहे थे। बाबा ने आग बुझाने के लिए रजनीश से कहा कि आग नहीं बुझाओगे तो आग लग जायेगी,नुकसान हो जायेगा। इसी बात पर नाराज होकर उपरोक्त दोनों मुल्जिमान लगभग तीन फिट के बॉस के टुकड़े से मारे पीटे थे। मेरी पत्नी चन्द्रावती ने बेटे रमेश को फोन करके बुलाया। रमेश ने 108 नम्बर एम्बुलेंस को बुलाया। तब हम तीनों, मैं, अपनी पत्नी व बेटे रमेश के साथ अपने पिता को लेकर जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर गये। वहॉ पर डाक्टर ने भर्ती कर लिया। हालत गंभीर होने के कारण फैजाबाद के लिए रेफर कर दिया फिर फैजाबाद से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर पुनः लाकर भर्ती कर दिये। दिनांक 19.10.2020 को थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी। प्रार्थनापत्र मैंने थाने के बाहर एक व्यक्ति से लिखवाकर पढकर सुनकर हस्ताक्षर करके दिया जिस पर मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई। असल तहरीर कागज संख्या–4अ/3 शामिल पत्रावली मेरे सामने है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क1 डाला गया। दौरान इलाज मेरे पिता त्रिभुवन की मृत्यु दिनांक 22.10.2020 को हो गयी थी। पंचनामा की कार्यवाही कराके लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मेरे पिता जी ने कुछ जमीन मेरी पत्नी के नाम बैनामा कर दिया था उसी रंजिश को लेकर मुल्जिम ने मेरे पिता को मारा पीटा था। मैं घटना के समय मौके पर नहीं था। मेरी बेटी ने घटना के बारे में मुझसे बताया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैंने घटना स्थल उनको दिखाया था।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि दिनांक–15.10.2020 के समय सुबह लगभग–10.30 बजे की घटना है। घटना के दिन वह अपनी पत्नी चन्द्रावती के साथ खेत में धान काटने गया था। घर पर उसकी लड़की लक्ष्मी व उसके बुजुर्ग पिता त्रिभुवन थे। 10.30 बजे के लगभग जब वह व उसकी पत्नी खेत से घर आये तो देखा कि उसके पिता त्रिभुवन घर के सामने द्वार पर चोटहिल अवस्था में पड़े थे। उसने उनको उठाकर चारपाई पर लिटाया। उसकी बेटी लक्ष्मी ने बताया कि मुल्जिम रजनीश व सुनीता घर के बाहर दरवाजे पर ईटा चूल्हा बनाकर आग जलाकर खाना बनाकर बिना आग बुझाये चले जा रहे थे। बाबा ने आग बुझाने के लिए रजनीश से कहा कि आग नहीं बुझाओगे तो आग लग जायेगी,नुकसान हो जायेगा। इसी बात पर नाराज होकर उपरोक्त दोनों मुल्जिमान लगभग तीन फिट के बॉस के टुकड़े से मारा पीटा था। तब वह अपनी पत्नी व बेटे रमेश के साथ अपने पिता को लेकर जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर गये। वहॉ पर डाक्टर ने भर्ती कर लिया। हालत गंभीर होने के कारण फैजाबाद के लिए रेफर कर दिया फिर फैजाबाद से लखनऊ

के लिए रेफर कर दिया। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर पुनः लाकर भर्ती कर दिये। दौरान इलाज उसके पिता त्रिभुवन की मृत्यु दिनांक 22.10.2020 को हो गयी थी। इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–''घटना दिनांक 15.10.2020 की है। मैं घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। मैंने जो सुना था घटना के बारे में वही रिपोर्ट में दर्ज कराया था। मैं दो सगा भाई व एक बहन है जिसका नाम सुनीता है। सुनीता की शादी हो चुकी है।.........मेरे छोटे भाई रजनीश की भी शादी हुई थी।...........मेरे किसी भी लडके लडकी की शादी अभी नहीं हुई है। मेरे पिता ने मेरी पत्नी के नाम बैनामा किया है। कितने बैनामें किये है मुझे जानकारी नहीं है।........जो बैनामा हुआ है वह पैतृक सम्पत्ति थी।..........रामकुबेर पुत्र रामलौट के नाम से जो सम्पत्ति थी उनके वारिस त्रिभुवन पुत्र रामकुबेर के नाम आराजी कराकर उसकी वसीयत राजेश कुमार, रमेश कुमार,दिनेश कुमार पुत्रगण रामसुख के नाम कराया गया है। वसीयत के आधार पर समस्त चल व अचल सम्पत्ति सब कुछ चला जाता है जिसके नाम वसीयत की जाती है। यह कहना गलत है कि मेरे व परिवार के दबाव में आकर अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का बैनामा व वसीयतनामा अपने लड़के व पत्नी के नाम लिखा लिया।........जब मार पीट घर पर हुई थी तब बडी लडकी लक्ष्मी घर पर थी। छोटी लड़की रूचि मेरे साथ थी। मै। धान काटकर घटना के आधा घण्टा बाद घर पर पहुँचा था।.........मैं धान को ठेला पर लादकर लाया था।.......जब मैं घर पर आया तब मुझे घटना की जानकारी हुई। घटना के तीन चार महीन पहले रजनीश घर आये थे। रजनीश के घर आने के पहले मेरे पिता ने बैनामा लिखा था। वसीयतनामा व बैनामा के बारे में रजनीश ने मुझसे कोई बातचीत नहीं किया था। रजनीश मेरे सगे भाई है। कानूनन उनका भी पैतृक सम्पत्ति में आधा हिस्सा है। घटना के सम्बन्ध में मेरी लडकी लक्ष्मी के अलावा गॉव के प्रर्मिला, उसके लडके अभिषेक यादव देखे थे। मंशाराम व उनके रिश्तेदार देखे थे। ....मौके पर लोग मौजूद थे परन्तु मेरे पिता को जो जमीन पर गिरे पड़े थे उनको उठाकर चारपाई पर लिटाने में गॉव के किसी व्यक्ति ने कोई मदद नहीं किया था। ....मेरे पिता के शरीर के किसी चोट से खून नहीं निकल रहा था। उनके शरीर पर कोई बाहरी जाहिरा चोट नहीं थी। बॉया पैर टूट गया था। सिर के पीछे चोट लगी थी। उनको सिर में अंदरूनी चोट लगी थी। जब मैं चारपाई पर उठाकर लाया तब वे बेहोश नहीं थे।.......मेरे पिता जी 70–72 वर्ष के रहे होगें। मेरे पिता जी वृद्ध थे।........जब मैं घर

पर धान लेकर पहुॅचा तो रजनीश घर पर मौजूद थे परन्तु सुनीता घर पर नहीं थी।.........जब 100 नम्बर की पुलिस आयी थी तो वह मेरे पिता जी को देखी थी। पुलिस बोली की हल्की फुल्की चोट लगी है जाकर दवा इलाज कराओ। पुलिस के सामने ही 108 नम्बर की गाड़ी आयी।.......उनकी हालत ज्यादा खराब थी मैं उनको लेकर जिला अस्पताल आया............मैंने तीन फिट के बॉस के डण्डे से रजनीश द्वारा मारने की बात बतायी थी अगर दरोगा जी ने मेरे बयान में उक्त बाते न लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। मेरे पिता को मार खाने से सिर में चोट आयी थी। हाथ में, बॉयें पैर में भी चोट आयी थी। जिस डण्डे से रजनीश ने मेरे पिता को मारा था उसको वहीं मेरे घर पर छोड़ दिया था। डण्डे पर खून नहीं लगा था। मैं दरोगा जी को वह डण्डा दिया था।'' इसप्रकार इस साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि उसके पिता ने अपनी जमीन को इस साक्षी के पत्नी के नाम बैनामा कर दिया था व जमीन इसके लड़को के नाम वसीयत कर दिया था जिससे अभियुक्त रजनीश जो मृतक का सगा पुत्र था वह नाराज था और उसी रंजिश के कारण घटना के दिनांक को उसे मारा पीटा जिससे उसे चोटें आयी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से विस्तार से जिरह की गयी है परन्तु इसके साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभाष नहीं आया है जिसका बचाव पक्ष को कोई लाभ मिल सके।

अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू.2 के रूप में कु0 लक्ष्मी** को परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी मृतक की पोती है तथा घटना की चक्षुदर्शी साक्षी है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि–''**घटना दिनांक 15.10.2020 समय करीब 10.30 बजे दिन की है। मेरे चाचा रजनीश घर के बाहर द्वार पर नीम के पेड़ के नीचे ईट का चूल्हा बनाकर लकड़ी जलाकर खाना बनाने तथा बिना आग बुझाये वहीं पर छोड़कर जा रहे थे। मेरे बाबा त्रिभुवन जो थोड़ी दूरी पर बैठे थे उन्होंने मेरे चाचा रजनीश से कहा कि आग बुझा दो नहीं तो नुकसान हो जायेगा। इसी बात पर मेरे चाचा रजनीश व वहीं पर मौजूद मेरी बुआ सुनीता पत्नी सर्वेश निवासी ग्राम विखौलिया थाना शाहगंज जनपद जौनपुर ने मिलकर मेरे बाबा को गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने लगे। मैंने बचाने का प्रयास किया। मुझे मेरे चाचा रजनीश ने धक्का दे दिया तो उपरोक्त दोनों लोग मेरे बाबा को लात घूसा मूका से जमीन पर पटक–पटक कर मारने लगे। हल्ला गोहार सुनकर गॉव के तमाम लोग को आता देखकर उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते चले गये। घटना के समय मैं, बाबा जी घर पर थे। मेरे माता–पिता खेत में गये थे। घटना के थोड़ी देर बाद मेरे माता–पिता आये। मैंने सारी बात बतायी।**

तब मेरे पिता व भाई मेरे बाबा को एम्बेलेंस से लेकर अस्पताल गये और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। घटना मैंने अपनी ऑखों से देखी थी। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके चाचा रजनीश चूल्हे पर खाना बना रहे थे और खाना बनाकर बिना आग बुझाये जा रहे थे जिस पर उसके बाबा ने रजनीश से कहा कि आग बुझा दो नहीं तो आग लग जायेगी इसी बात पर रजनीश उसके बाबा को गालियां देते हुए मारने पीटने लगा और गॉव वालों को आता देखकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। जब इस साक्षी के माता पिता आये तो इसने उनसे सारी बात बतायी और चोटहिल त्रिभुवन को अस्पताल ले जाया गया जहॉ पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि—''घटना लगभग दो साल पहले 15.10.2020 की है। लगभग साढ़े दस बजे की घटना है। रजनीश मेरे सगे चाचा है। रजनीश व रामसुख त्रिभुवन के लडके है।......रजनीश मेरे पिता के सगे भाई है। रसूलपुर दियरा में मेरी जमीन जायदाद है। घर जो पैतृक है जो मेरे चाचा का भी है। जो पैतृक जमीन है उसमें भी रजनीश का हिस्सा है।.........रजनीश घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे खाना बना रहे थे। जलती हुई आग को छोडकर जा रहे थे इसी बात को लेकर विवाद था। रजनीश ने मेरे पिता से जमीन के हिस्से के बारे में यदि मांग किया हो तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। रजनीश कहीं बाहर नौकरी करते थे मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रजनीश को मैंने इस घटना में पहली बार देखा था। मेरे सामने रजनीश ने कभी भी जमीन व घर में हिस्से की मांग नहीं किया था। मेरे सामने कोई हिस्सा या जमीन के बारे में कोई बात नहीं हुई। ....घटना वाले दिन नीम के पेड के नीचे घर के सामने खाना बना रही थी जहां रजनीश खाना बना रहे थे वहा मेरे बावा त्रिभुवन चारपाई पर बैठे थे। रजनीश भगौना में खाना बना रहे थे। खिचडी पकाकर लेकर जाने लगे। जब खिचडी पकाकर ले जा रहे थे तो सुनीता भी साथ में थी। जो मेरी बुआ लगती है। दोनों लोग द्वार पर खिचडी बना रहे थे। .... घटना वाले दिन सौ नम्बर की पुलिस आई थी। ......घटना वाले दिन मेरे परिवार के सभी सदस्य बाहर थे। ....मेरे माता पिता घटना वाले दिन धान काटने गये थे। .... मैंने घटना की सूचना अपने मां बाप को नहीं दिया था वह स्वंय आये थे।......घटना के आधे घण्टे बाद एम्बुलेन्स बाबा को लेने घर आयी थी जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर लेकर गयी थी। बीस पच्चीस मिनट लड़ाई झगड़ा मारपीट होता रहा।

बाबा के गिरने पर जब बाबा चिल्लाने लगे तो मैं भी चिल्लाई थी। दौरान घटना बहुत से लोग आये थे जिन्होंने घटना देखी थी............घटना के बारे में मैंने अपने पिता को बतायी थी जिस पर उन्होंने एफ.आई.आर लिखायी थी। ....जब मेरे बाबा गिर कर चिल्लाये थे तो मैं भी चिल्लाई थी। जब रजनीश ने बाबा को धक्का देकर गिराया था मैं छुडाने गयी थी तो मुझको भी धक्का दिया था मैं भी गिर गयी थी। मुझे भी चोट आयी थी। केवल शरीर में दर्द था।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से विस्तार से जिरह की गयी है परन्तु उसके जिरह में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभाष नहीं आया है जिसका बचाव पक्ष को कोई लाभ मिल सके।

अभियोजन द्वारा **साक्षी पी.डब्लू.3 के रूप में चन्द्रावती** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि–''इस मामले के मृतक त्रिभुवन मेरे ससुर थे। मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूँ। मैं घटना की तारीख नहीं बता सकती हूँ। घटना आज से लगभग ढाई साल पहले की है। मैं अपने पति के साथ सुबह धान काटने गयी थी। घर पर मेरी बेटी लक्ष्मी व ससुर त्रिभुवन थे। **लगभग 10.30 बजे मैं अपने पति के साथ खेत से घर वापस आयी तो देखा कि मेरे ससुर त्रिभुवन घर के सामने द्वार पर जमीन पर गिरे पड़े थे और चिल्ला रहे थे। मैं व मेरे पति उनको उठाकर चारपाई पर लिटाया। मेरी बेटी लक्ष्मी ने बताया कि चाचा रजनीश व सुनीता ईटा रखकर आग जलाकर द्वार पर खाना बनाया था। बिना आग बुझाये चले जा रहे थे। बाबा ने मना किया तो दोनों लोगों ने रजनीश व सुनीता ने मारा पीटा। यही बात मेरे ससुर त्रिभुवन ने हम लोगों को बताया था। तब मैंने अपने बेटे रमेश को फोन करके बुलाया था। रमेश अपने ननिहाल उस समय रहता था। रमेश कुछ देर बाद आये तब एम्बुलेंस बुलाया। तब मेरे ससुर को लेकर जिला अस्पताल गये। साथ में मैं भी गयी। जिला अस्पताल में भर्ती कर लिये। इलाज के दौरान ही 7–8 दिन बाद मेरे ससुर त्रिभुवन की मृत्यु हो गयी। मेरे ससुर अपने नाम की कुछ जमीन मेरे नाम लिख दिये थे इसलिए मेरे देवर रजनीश व ननद सुनीता उनको मारते पीटते थे। घटना के दिन भी जमीन की रंजिश वश आग बुझाने का बहाना लेकर मारे पीटे थे जिससे उनकी मृत्यु हो गयी।** दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि घटना के समय घर पर उसकी बेटी लक्ष्मी व ससुर त्रिभुवन थे। लगभग 10.30 बजे जब वह अपने पति के साथ खेत से घर वापस आयी तो देखा कि उसके ससुर त्रिभुवन घर के सामने द्वार पर जमीन पर गिरे पड़े थे और चिल्ला रहे थे। वह व उसके पति उनको उठाकर चारपाई पर लिटाया। उसकी बेटी लक्ष्मी

ने बताया कि चाचा रजनीश व सुनीता ईटा रखकर आग जलाकर द्वार पर खाना बनाया था। बिना आग बुझाये चले जा रहे थे। बाबा ने मना किया तो दोनों लोगों ने रजनीश व सुनीता ने मारा पीटा। यही बात उसके ससुर त्रिभुवन ने हम लोगों को बताया था। तब उसने अपने बेटे रमेश को फोन करके बुलाया था। रमेश अपने ननिहाल उस समय रहता था। रमेश कुछ देर बाद आये तब एम्बुलेंस बुलाया। तब उसके ससुर को लेकर जिला अस्पताल गये। साथ में वह भी गयी। जिला अस्पताल में भर्ती कर लिये। इलाज के दौरान ही 7–8 दिन बाद उसके ससुर त्रिभुवन की मृत्यु हो गयी। उसके ससुर अपने नाम की कुछ जमीन उसके नाम लिख दिये थे इसलिए उसके देवर रजनीश व ननद सुनीता उनको मारते पीटते थे। घटना के दिन भी जमीन की रंजिश वश आग बुझाने का बहाना लेकर मारे पीटे थे जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। इसप्रकार इस साक्षी ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–''मेरा नाम चन्द्रावती है। मेरा घर ग्राम रसूलपुर दियरा है। ...... मेरे ससुर अपने माँ–बाप के अकेले लडके थे। जिनकी मृत्यु हो गयी है। मेरे ससुर के कुल दो पुत्र एवं एक पुत्री है। मेरे ससुर के बडे लड़के का नाम रामसुख यादव है। मेरी शादी रामसुख से हुई है। मेरे ससुर के दूसरे लड़के का नाम रजनीश यादव है। रजनीश की शादी हो चुकी है। रजनीश की शादी ग्राम सहिनवा में हुई है जो सुल्तानपुर जनपद में है। रजनीश की पत्नी इस समय कहा है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। रजनीश को औरत को मैंने आखिरी बार लगभग 10–12 वर्ष पहले देखा था। रजनीश की औरत छूट गयी है। मैं अपने ससुराल में लगभग 30–35 सालों से रह रही हूँ। .... रजनीश अपनी जिंदगी में लुधियाना (पंजाब) में रहकर कमाते थे। घर पर केवल चार–छः दिन के लिए आते थे। और फिर वापस चले जाते थे। रजनीश कमाकर घर आने के बाद अपने पिता को रूपया–पैसा नहीं देते थे। इसकी मुझे पूरी जानकारी है। पैसा क्या करते थे इसकी मुझे जानकारी नहीं है। रजनीश जब घर पर आते थे तो उनकी पत्नी भी घर पर नहीं रहती थी। रसूलपुर दियरा में मेरे घर जो भी खेती बारी, जगह जमीन है वो सारी सम्पत्ति पैतृक है। बाप दादा के जमाने की। हम लोगों ने कोई अलग से सम्पत्ति नहीं बनाया है। इस सम्पत्ति में रजनीश का कोई हिस्सा नहीं है। सम्पूर्ण सम्पत्ति मेरी है। मेरे ससुर ने अपने जीवनकाल में ही मेरे नाम अपनी सम्पूर्ण आराजी का रजिस्ट्री बैनामा कर दिया। मेरे ससुर मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम कोई बैनामा नहीं किया है। उस जमीन का वसीयतनामा मेरे लड़को के नाम कर दिया था। चूंकि मेरे ससुर मेरे

साथ रह रहे थे इसलिए मेरे व मेरे परिवार के नाम रजिस्ट्री बैनामा व वसीयतनामा लिख दिया था।.........जिस दिन की घटना है। घटना वाले दिन मैं अपने पति के साथ धान काटने गयी थी। हम लोग सुबह ही धान काटने गये थे और लगभग साढे दस बजे धान काटकर वापस आ गये थे। .... जब मैं धान काटकर साढ़े दस बजे वापस आयी तो घर पर सुनीता और रजनीश थे और मेरे ससुर त्रिभुवन को मारकर गिराये थे। जहां मेरे ससुर गिरे थे वहां से थोडी दूर पर सुनीता और रजनीश थे। वहा से दूरी दस पन्द्रह मीटर की थी। ये लोग मेरे घर एक घण्टा के लगभग थे जब मेरा लडका रमेश कुमार आया और एम्बुलेस बुलाया तब एम्बुलेंस के आने पर ये लोग मेरे घर से चले गये।.......एम्बुलेंस मेरे लड़के रमेश ने ही बुलाया था। ....मेरे ससुर मेरे दरवाजे पर गिरे थे। मेरे ससुर मेरे मोहारे पर गिरे थे वहीं पर नीम का पेड भी है। .... जब मैं घर पहुंची तो मेरी लडकी लक्ष्मी घर में बर्तन घुल रही थी। जब मैं घर पर पहुंची तब लड़की तुरन्त अन्दर से बाहर आ गयी और हम लोगों को घटना के बारे में बताया। ....जब मैं व मेरे पति घर पर पहुंचे तो मेरे ससुर जमीन पर गिरकर चिल्ला रहे थे। उसके बाद मैं और मेरे पति उनको छिनवा कर चारपाई पर लिटाया। .... हम लोगों ने 100 नम्बर की पुलिस बुलाया था। पुलिस के आने पर उन लोगों ने कहा कि उनकों जिला अस्पताल ले जाइये। मेरे ससुर का हाथ–पैर काम नहीं कर रहा था। ....मैं घर पहुंचने पर अपने ससुर को लेकर लगभग एक घण्टे घर पर थी उसके बाद जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर लेकर चली आयी। .... अस्पताल खुला था तुरन्त इलाज होने लगा। उसी दिन मेरे ससुर जिला अस्पताल में भर्ती हो गये थे। मेरे ससुर जिला अस्पताल में एक हफ्ते भर्ती थे। जिला अस्पताल में ही मेरे ससुर की मृत्यु हो गयी थी। जिला से फैजाबाद/अयोध्या अस्पताल लेकर गये थे वहां आराम नहीं हुआ तब फिर लाकर जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर में भर्ती कर दिया था।.....रजनीश नीम के पेड के नीचे जहॉ मेरे ससुर को मारे थे वहीं खाना बना रहे थे।......रजनीश भदेली व भगोना में खिचडी बना रहे थे। जब मैं पहुँची तो भदेलीशुदा खिचडी लेकर भाग गये थे।..........रजनीश मेरे सगे देवर है। पैतृक सम्पत्ति में भी रजनीश का आधा हिस्सा होता है इसके बारे में उनके पिता जाने।'' इसप्रकार इस साक्षी के बयान के अवलोकन से यह विदित होता है कि यह साक्षी घटना के समय अपने खेत में गयी थी और जब घर वापस आयी तो उसके ससुर चोटहिल हालत में गिरे हुए थे और चिल्ला रहे थे। इस साक्षी की लड़की ने उसे घटना की सारी जानकारी दी। इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओंर से विस्तार से जिरह की गयी है किन्तु इसके बयान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिसका बचाव पक्ष को कोई लाभ मिल सके।

साक्षी पी.डब्लू.4 के रूप में रमेश कुमार यादव को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि–''रामसुख मेरे पिता जी है तथा त्रिभुवन मेरे बाबा थे। घटना दिनांक 15.10.2020 की है। समय करीब दस–साढ़े दस बजे की है। मेरे चाचा रजनीश चूल्हे पर खाना बना रहे थे। मेरे बाबा त्रिभुवन ने उनको मना किया कि आग बुझा दो नहीं तो आग लग जायेगी। इसी बात को लेकर चाचा रजनीश व बुआ सुनीता ने मिलकर मेरे बाबा को लाठी डण्डे से मारे पीटे थे। **घटना के समय मैं अपने नाना के घर पर था। मैं अपनी मम्मी की सूचना पर घर आया। घर आकर देखा मेरे बाबा को काफी चोट लगी थी। मेरे बाबा चारपाई पर चिल्ला रहे थे। मैंने 108 नम्बर के एम्बुलेन्स को फोन किया। एम्बुलेन्स के आने पर मैं व मेरी मम्मी बाबा त्रिभुवन को इलाज हेतु जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर लाये। दौरान इलाज मेरे बाबा की उपरोक्त चोटों के कारण मृत्यु हो गयी। मेरे बाबा का पंचनामा पुलिस वालों ने जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर में लिख पढ़कर तैयार किया था। पंचनामा के समय मैं भी मौजूद था। पंचनामा करने के पश्चात पुलिस वाले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शामिल पत्रावली पंचनामा पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क2 डाला गया।** पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था।'' इसप्रकार इस साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि घटना के समय यह साक्षी अपने नाना के घर था और अपनी मॉ की सूचना पर आया तो देखा कि उसके बाबा को काफी चोट लगी है। उसने 108 नम्बर एम्बुलेन्स को फोन किया और एम्बुलेन्स से अपने बाबा को अस्पताल ले गया जहॉ पर उनकी मृत्यु हो गयी। इस साक्षी ने अपने बयान में पंचनामा को साबित किया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किए जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–''मेरा ननिहाल मेरे घर से 16 किमी0 दूर है। घटना की सूचना मुझे 10.30 बजे मिली थी। मेरी मम्मी ने सूचना दिया था। फोन से सूचना दिया था।...... मेरी मम्मी ने कहा कि लडाई झगडा हुआ है उसके बाद मैं तुरन्त घर चला आया।......जब घर आया तब 108 नम्बर पर फोन किया। 108 नम्बर आयी। बाबा को लेकर जिला अस्पताल आया।.............रजनीश यादव जो इस मुकदमें में मुल्जिम है मेरे सगे चाचा है।..........जितनी जमीन मेरे बाबा की थी उसमें कितनी जमीन पर रजनीश का कब्जा है मुझे नहीं पता।.........मेरे बाबा त्रिभुवन ने समस्त चल अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा हमारे तीनों भाईयों राजेश,दिनेश व रमेश के नाम वसीयत कर दिया है।..घटना दिनांक 15.10.2020 की है। मेरे बाबा त्रिभुवन की मृत्यु दिनांक 22.10.2020 को हुई थी जिस समय मृत्यु हुई थी उस समय अस्पताल में थे। ....

जब मेरे बाबा की मृत्यु हुई थी तब उनके पास कोई सम्पत्ति शेष नहीं बची थी। ....पंचनामा के बाद लाश 10.30 बजे के लगभग पोस्टमार्टम के लिए चली गयी थी। पंचनामा के समय दरोगा जी ने राय नहीं पूछा था।.....मेरे बाबा एक हफ्ते अस्पताल में भर्ती रहे। जब मैं बाबा को घटना के दिन घर पर देखा था उस समय उनके शरीर से खून नहीं गिर रहा था।........सुनीता व रजनीश को मार पीट करते मैंने नहीं देखा था। मेरे माता पिता व बहन ने इस बारे में बताया था '' इस प्रकार इस साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि घटना के समय यह साक्षी अपने नाना के यहॉ था तथा इसने अभियुक्त को उसके बाबा को मारते हुए स्वंय नहीं देखा है बल्कि उसके माता पिता व बहन के बताने पर उसे इस घटना की जानकारी हुई। इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से विस्तार से जिरह की गयी परन्तु इसके साक्ष्य में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभाष नहीं आया है जिसका बचाव पक्ष को कोई लाभ मिल सके।

साक्षी **पी.डब्लू.5 के रूप में मोहितराम** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में यह कथन किया गया है कि–''उपरोक्त मुकदमें के मृतक त्रिभुवन मेरे रिश्तेदार थे, उनकी मृत्यु की सूचना पर मैं उनके पास आया था, मौके पर तमाम लोग व रिश्तेदार मौजूद थे, पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, पुलिस वालों ने मुझे पंचान नियुक्त कर त्रिभुवन का पंचनामा मेरे समक्ष लिख–पढ कर तैयार किया था, हम लोगों की राय जानी थी, तत्पश्चात् शव को सफेद कपडे में रखकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया था, पंचनामा पर पुलिस वालों ने मेरे हस्ताक्षर बनवाये थे, साक्षी ने पंचनामा पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क 2 पूर्व में डाला गया है। मुझे यह जानकारी हुई थी कि त्रिभुवन को उनके पुत्र रजनीश व पुत्री सुनीता ने मिलकर जमीनी विवाद को लेकर मारा था, जिससे त्रिभुवन की मृत्यु हो गयी थी, पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था।'' इसप्रकार इस साक्षी के बयान के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि यह साक्षी पंचनामा का साक्षी है जिसके द्वारा पंचनामा को प्रदर्श क2 के रूप में साबित किया गया है।

जिरह में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि–''रसूलपुर दियरा में मेरी ससुराल है। त्रिभुवन मेरे साले लगते है।......मेरे ससुर का नाम रामकुबेर था।....त्रिभुवन के मरने की सूचना मुझे जिला अस्पताल में मिली थी।......मैं सुबह दिनांक 23.10.2020 को पहुॅच गया था।.....जब मैं पहुॅचा तो इनकी लाश शव गृह में थी। .....मैंने त्रिभुवन को किसी को मारते नहीं देखा था। रामसुख ने मुझसे बताया था कि त्रिभुवन को रजनीश ने मारा है। मैंने जो मारने की बात बतायी है वह

रामसुख के कहने पर ही बताया है।......मैं पंचनामा पढने के बाद हस्ताक्षर बनाया था।'' इसप्रकार इस साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि इसने अभियुक्त को त्रिभुवन को मारते हुए नहीं देखा है। उसे इस संबंध में जो भी जानकारी है वह रामसुख के बताने पर है। यह साक्षी पंचनामें का साक्षी है।

पी.डब्लू.6 हे0 कां0.योगेन्द्र सिंह द्वारा अपने बयान में चिक एफ.आई. आर को प्रदर्श क–3 व कायमी जी.डी.को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया गया है। यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है।

पी.डब्लू.7 डा. पी.एन.यादव रेडियोलॉजिस्ट ने अपने बयान में यह कथन किया गया है कि–''मैं दिनांक 20.10.2020 को उपरोक्त पद व स्थान पर कार्यरत था, **दिनांक 20.10.2020 को उपरोक्त मुकदमें के चोटहिल त्रिभुवन पुत्र स्वर्गीय राम कुवेर उम्र लगभग 80 वर्ष निवासी रसूलपुर दियरा, थाना बेवाना, जनपद–अम्बेडकरनगर को चिकित्साधिकारी डॉ० मनु उपाध्याय द्वारा रिफर करने के पश्चचात् थाना–बेवाना के होमगार्ड सुनील कुमार वर्मा द्वारा मेरे समक्ष एक्स–रे परीक्षण हेतु लाया गया था**, मेरी देखरेख में एक्स–रे टेक्निशियन द्वारा चोटहिल के बायी हिप के साथ जांघ के जोड का एक्स–रे किया गया, जिसकी रिपोर्ट मैंने दिनांक 20.10.2020 को तैयार किया, **एक्स–रे में चोटहिल त्रिभुवन के बाये फीमर बोन में ताजी टूटन पायी गयी थी**, रिपोर्ट मैंने वरवक्त मुआइना अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 5 डाला गया तथा एक्स–रे प्लेट पर वस्तु प्रदर्श 1 व वस्तु प्रदर्श 2 डाला गया।'' इसप्रकार इस विशेषज्ञ साक्षी द्वारा चोटहिल त्रिभुवन के बायें फीमर बोन में ताजी टूटन पाये जाने की पुष्टि किया है तथा एक्स रे रिपोर्ट को साबित किया है जिससे भी अभियोजन कथानक का समर्थन होता है।

साक्षी पी.डब्लू.8 भवानी प्रसाद मिश्रा,उपनिरीक्षक को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि–''मैं दिनांक 19.10.2020 को थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकरनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था, उस दिन थाना प्रभारी के आदेश पर उपरोक्त मुकदमें की विवेचना मुझे प्राप्त हुई, मैं विवेचना में मशरूफ हुआ, दिनांक 19.10.2020 को पर्चा नं० 1 किता किया जिसमें नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया, थाने में कार्यरत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक योगेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया, दिनांक 21.10.2020 को पर्चा नं० 2 में वादी को तलाश किया, घर पर नहीं मिला। दिनांक 19.10.2020 को पर्चा न० 3 में चक्षुदर्शी साक्षी लक्ष्मी यादव का बयान अंकित किया, साक्षी ने बताया कि एम्बुलेंस चोटहिल को लेकर अस्पताल गयी है, जिस कारण

चक्षुदर्शी साक्षी लक्ष्मी यादव की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 6 डाला गया। घटना स्थल पर गांव के दो व्यक्ति मौजूद मिले, उनकी मौजूदगी में घटना स्थल का मैंने अच्छे से निरीक्षण किया, किन्तु घटना स्थल पर मुझे कोई खून का कोई अंश नहीं दिखायी दिया, तत्पश्चात् मैंने मौजूद साक्षी मंशाराम कपिल देव यादव का बयान अंकित किया, दिनांक 07.11.2020 पर्चा नं० 4 किता किया जिसमें वादी मुकदमा को तलाश किया, नहीं मिला। दिनांक 20.11.2020 को पर्चा नं० 5 में चोटहिल त्रिभुवन की डॉक्टरी रिपोर्ट, एक्स–रे रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचायतनामा रिपोर्ट थाना कार्यालय से प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया, दिनांक 10.12.2020 को पर्चा नं० 6 में वादी राम सुख यादव व अन्य साक्षी चन्द्रावती व रमेश यादव का बयान अंकित किया, दिनांक 20.12.2020 को पर्चा नं० 7 में पंचनामा के साक्षी रमेश यादव, राजेश कुमार यादव, मोहित राम, अरूण कुमार गुप्ता का बयान अंकित किया, दिनांक 30.12.2020 को पर्चा न० 8 में नामित आरोपी का प्रार्थना–पत्र व गवाहों का शपथ–पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय, अम्बेडकरनगर द्वारा थाना कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसका मैंने अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया, दिनांक 01.01.2021 को पर्चा नं० 9 में पंचायतनामा भरने वाले उपनिरीक्षक ममता यादव व पोस्टमार्टम कराने वाले आरक्षी सुमित यादव व पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ० इन्द्रेश का बयान अंकित किया, दिनांक 03.01.2021 को पर्चा नं० 10 में शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले साक्षीगण का बयान अंकित किया, जिसके आधार पर नामित अभियुक्ता सुनीता की नामजदगी गलत पायी गयी, दिनांक 12.01.2021 को पर्चा नं० 11 में अभियुक्त रजनीश को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित किया तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड प्राप्त किया, दिनांक 14.01.2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित आरोपिता सुनीता का बयान अंकित किया, तमामी विवेचना के आधार पर मैंने उपरोक्त मुकदमें के अभियुक्त रजनीश यादव पुत्र त्रिभुवन के विरूद्ध धारा 323,504,506,325,304 भा०दं०सं० में आरोप पत्र संख्या 05/2021 तैयार किया जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 7 डाला गया।''

जिरह में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि घटना के बारे में मुझको 19.10.2020 को ही जानकारी हुई थी। समय मुझे याद नहीं है।.........मैंने मेडिकल करने वाले डाक्टर व पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर का बयान लिया था।........मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि रजनीश व रामसुख के बीच में

कभी कोई पंचायत हुई थी जिसमें थाने की पुलिस भी गयी हो।.......घर वालों के बताने पर मैंने नक्शा नजरी तैयार किया था।'' यह साक्षी प्रकरण के विवेचक है जो कि एक औपचारिक साक्षी है।

साक्षी पी.डब्लू.9 उपनिरीक्षक ममता यादव ने अपने बयान में यह कथन किया है कि–''मैं दिनांक 23.10.2020 को थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थी, उस दिन संयुक्त जिला चिकित्सालय द्वारा प्रेषित प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर की रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई और प्रभारी निरीक्षक द्वारा मुझे पंचायतनामा भरने हेतु संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकरनगर भेजा गया तब मैं संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकरनगर आयी जहां पर उपरोक्त मुकदमें के मृतक त्रिभुवन का पंचनामा मेरे द्वारा पंचान नियुक्त कर समक्ष पंचान लिख–पढ कर तैयार किया गया, पंचों की राय जानी गयी, अन्य दीगर कागजात भी तैयार किये गये, तत्पश्चात् शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, शामिल पत्रावली पंचायतनामा व अन्य दीगर कागजात मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करती हूँ, पंचायतनामा पर पूर्व में प्रदर्श क 2 डाला गया है, अन्य दीगर कागजात जिसमें प्रतिसार निरीक्षक को प्रेषित रिपोर्ट पर प्रदर्श क 7 सी०एम०ओ० को प्रेषित रिपोर्ट पर प्रदर्श क 8 फोटो नाश पर प्रदर्श क 9, चालान शव पर प्रदर्श क 10, पुलिस फॉर्म संख्या 13 पर प्रदर्श क 11 व नमूना मोहर पर प्रदर्श क 12 डाला गया। उपरोक्त मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान लिया था।'' यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है जिसके द्वारा पंचनामा भरा गया है तथा पुलिस प्रपत्रों को साबित किया गया है।

साक्षी पी.डब्लू.10 डॉ0 इन्द्रेश यादव ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि–''मैं दिनांक 23.10.2020 को सी०एच०सी० अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था, उस दिन मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हेतु लगी थी, दिनांक 23.10.2020 को उपरोक्त मुकदमें के मृतक त्रिभुवन उम्र लगभग 80 वर्ष पुत्र स्व० राम कुबेर, निवासी रसूलपुर दियरा, थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकर नगर के सीलयुक्त शव को थाना प्रभारी कोतवाली अकबरपुर द्वारा थाने के आरक्षी सुमित यादव से पोस्टमार्टम हेतु मेरे समक्ष भिजवाया गया था, शव की पहचान साथ में आरक्षी द्वारा की गयी तत्पश्वात् मैंने शव का पोस्टमार्टम उसी दिन दिनांक 23.10.2020 को समय 03:20 पी.एम. पर करना प्रारम्भ किया था, शव के साथ मुझे संयुक्त जिला चिकित्सालय, अम्बेडकरनगर से मृतक की मृत्यु के सम्बन्ध में मृतक की मेमो रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी, जिसका मैंने पोस्टमार्टम के समय अवलोकन किया था।

बाह्य परीक्षणः–

मृतक त्रिभुवन दुर्बल कद काठी का था, शव में मृत्यु पश्चात् अकड़न पूरे शरीर में मौजूद थी, दोनों नेत्र व मुह खुला था, नाखून पेल थे, दात 2¢4 मौजूद थे।

मृत्यु पूर्व चोटेंः–

मृतक त्रिभुवन को मृत्यु पूर्व निम्नलिखित चोटें आयी थी।

चोट नं० 1 बाये पैर की फीमर हड्डी में टूटन पायी गयी थी जिससे हड्डी में विकृति मौजूद थी।

चोट नं० 2 पपड़ी युक्त कई खरोच बाये पैर में 8X3 सें०मी० के क्षेत्रफल में मौजूद था, सबसे बडी खरोच का आकार 5X1 से०मी० तथा सबसे छोटी खरोच का आकार 2x0.5 सें०मी० था।

आन्तरिक परीक्षणः–

मृतक त्रिभुवन के मस्तिष्क में गंध युक्त पानी Cranial fossae में मौजूद था, pleural cavity में पीला रंग का पानी भरा हुआ था, दोनों फेफडों का चैम्बर कोलैप्स था और चैम्बर में गंध युक्त पानी भरा हुआ था, हृदय का दाया चैम्बर के थक्के से भरा था, बाया चैम्बर खाली था, पेट में लगभग 200 एम०एल० पानी मौजूद था, पेट की दीवारें सामान्य थी, छोटी आंत में अधपचा पदार्थ के साथ गैस मौजूद थी, बड़ी आंत में मल के साथ गैस मौजूद थी, मूत्राशय खाली था। पित्त की थैली सिकुडी हुई थी।

मृत्य का समयः–

मेरी राय में मृतक की मृत्यु का समय पोस्टमार्टम करने के समय से एक दिन के अंदर का था तथा संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकर नगर से प्राप्त मेमों के आधार पर मृतक की मृत्यु दिनांक 22.10.2020 को समय 06:45 पी.एम. पर हुई थी।

मृत्यु का कारणः–

मेरी राय में मृतक की मृत्यु का कारण Septicemia (रक्त संक्रमण) और Shock जो मृत्यु पूर्व आयी उपरोक्त चोट से हुई थी।

मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट वरवक्त मुआइना अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। जो शामिल मेरे समक्ष है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 13 डाला गया। शव के साथ मुझे अन्य प्रपत्र भी प्राप्त हुए थे, उस पर भी मैंने अपना हस्ताक्षर बनाया था, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ जिसमें सी.एम.ओ. को प्रेषित रिपोर्ट पर प्रदर्श क 14,संयुक्त जिला चिकित्सालय से प्राप्त मेमो पर प्रदर्श क15 डाला गया।'' इसप्रकार इस विशेषज्ञ साक्षी द्वारा मृतक के

पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया गया है तथा मृतक की मृत्यु का कारण Septicemia (रक्त संक्रमण) और Shock जो मृत्यु पूर्व आयी उपरोक्त चोट से होना बताया है।

साक्षी पी.डब्लू.11 डॉ0. मनु उपाध्याय ने अपने बयान में यह कथन किया है कि–''मैं दिनांक 19.10.2020 को संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकर नगर में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था, उस दिन मेरी एमरजेंसी ड्यूटी लगी थी, दिनांक 19.10.2020 को उपरोक्त मुकदमें के चोटहिल त्रिभुवन आयु लगभग 80 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राम कुवेर, निवासी रसूलपुर दियरा, थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकर नगर को चोटहिल अवस्था में थाना बेवाना के होमगार्ड नं० 0122 सुनील कुमार वर्मा द्वारा मेरे समक्ष इलाज हेतु लाया गया था, मैंने चोटहिला का पहचान चिन्ह अंकित करने के पश्चात् उसके शरीर पर आयी हुई चोटों का परीक्षण दिनांक 19.10.2020 को 02:00 पी.एम.पर किया था, चोटहिल ने बताया था कि उसको मारने पीटने से चोटें आयी है, चोटहिल को निम्नलिखित चोटें आयी थी।

चोटहिल को सूजन (swelling) के साथ दर्द की शिकायत बायें कूल्हे के जोड पर थी। चोटहिल को मैंने एक्स–रे, अग्रिम उपचार व विशेषज्ञ राय हेतु हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास संदर्भित किया था, रिपोर्ट मैंने बरवक्त मुआइना अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 16 डाला गया।''इसप्रकार इस विशेषज्ञ साक्षी द्वारा अपने बयान में चोटहिल त्रिभुवन का इलाज किया जाना व उसकी चोटों में सूजन के साथ दर्द बाये कूल्हें के जोड़ पर होना बताया गया है जिसके इसके द्वारा विशेषज्ञ राय व अग्रिम उपचार हेतु संदर्भित किया गया।

28. इसप्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मुल्जिम रजनीश घटना के दिनांक को घर के बाहर दरवाजे पर ईटों का चूल्हा बनाकर आग जलाकर खाना बनाकर बिना आग बुझाये जा रहा था जिस पर उसके पिता त्रिभुवन ने आग बुझाने के लिए रजनीश से कहा कि आग नहीं बुझाओगे तो आग लग जायेगी,नुकसान हो जायेगा। इसी बात पर नाराज होकर अभियुक्त रजनीश ने त्रिभुवन को मारा पीटा जिससे उसे चोटें आयी और उसके बायें फीमर बोन में ताजी टूटन पायी गयी तथा अभियुक्त के मारने से आयी चोटों के कारण दौरान इलाज अस्पताल में त्रिभुवन की मृत्यु हो गयी। तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य में यह भी तथ्य आया है कि मृतक त्रिभुवन ने अपनी सम्पत्ति का बैनामा अपनी पुत्रबधू चन्द्रावती के नाम कर दिया था तथा इसी जमीन का वसीयतनामा अपने पोतो के नाम कर दिया था जिससे अभियुक्त नाराज था और उसी रंजिश के कारण

घटना के दिनांक को उसने उक्त घटना कारित किया जिससे त्रिभुवन की दौरान इलाज मृत्यु हो गयी। चिकित्सीय साक्ष्य में भी मृत्यु पूर्व आयी चोटों से मृत्यु होने का कथन किया गया है तथा चोटहिल को साधारण चोटें व बायें फीमर बोन में ताजी टूटन पायी गयी। इसप्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्य परिस्थितियों व पोस्टमार्टम रिपोर्ट,चिकित्सीय साक्ष्य आदि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध धारा–304,323,325,504,506 भा.द.सं. का अपराध बनता प्रतीत होता है।

उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन पक्ष **अभियुक्त रजनीश यादव** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–304,323,325,504,506 भा.द.सं. को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त **रजनीश यादव** धारा– 304,323,325,504,506 भा.द.सं. के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **रजनीश यादव** को धारा–304,323,325,504,506 भा.द.सं. में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अतः उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक–20.06.2026 को पेश हो।

दिनांकः–18.06.2026

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067

20.06.2026

पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। अभियुक्त जेल से तलब होकर न्यायालय में उपस्थित है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त का पहला अपराध है। अभियुक्त की कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्त के परिस्थितियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त पर वादी मुकदमा के पिता त्रिभुवन को मार पीटकर साधारण उपहति कारित करने, गम्भीर उपहति कारित करने तथा वादी के पिता त्रिभुवन को मार कर गैर इरादतन हत्या कारित करने उन्हें गालियॉ व जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध हुआ है। अपराध अत्यन्त गम्भीर है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाय।

अभियुक्त पर अभियुक्त पर वादी मुकदमा के पिता त्रिभुवन को मार पीटकर साधारण उपहति कारित करने, गम्भीर उपहति कारित करने तथा वादी के पिता त्रिभुवन को मार कर गैर इरादतन हत्या कारित करने उन्हें गालियॉ व जान से मारने की धमकी देने का अपराध साबित है। इसप्रकार अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किये जाने का पर्याप्त एवं न्यायोचित आधार है जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होना सम्भव है।

दण्डादेश

दोषसिद्ध अभियुक्त **रजनीश यादव** को **धारा– 304 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत **सात वर्ष के कठोर कारावास एवं मु0–7,000/– रूपये** (सात हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त **रजनीश यादव** को **धारा–323 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत **एक वर्ष के साधारण कारावास एवं मु0 1000/– रूपये** (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 10 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्व अभियुक्त **रजनीश यादव** को **धारा–325 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत **तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं मु0–3000/–रूपये** (तीन हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्व अभियुक्त **रजनीश यादव** को **धारा– 504 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत **एक वर्ष के साधारण कारावास एवं मु0–1000/–रूपये** (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को दस दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्व अभियुक्त **रजनीश यादव** को धारा– 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत **दो वर्ष के साधारण कारावास एवं मु0–2000/–रूपये** (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को पन्द्रह दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि नियमानुसार सजा में समायोजित होगी। सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

अभियुक्त का सजायावी वारण्ट बनाया जाये।

अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक–20.06.2026

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067

यह निर्णय/दण्डादेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया ।

दिनांक–20.06.2026

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067